

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हेतु आवश्यक सूचना

1. दिनांक 21.10.2015 से पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग एवं एम.एस.सी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के फार्म ऑन लाईन किये गये हैं। इससे पूर्व ANM, GNM & BSc Nursing रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन लाईन थे। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को अब डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रारंभ किया जा रहा है।
2. उपरोक्त समस्त सर्टिफिकेट में Documents Attachment की सुविधा दी जा रही है। जिसमें छात्र की 10th, 12th कोर्स कम्प्लीशन सर्टिफिकेट, माइग्रेसन सर्टिफिकेट, इन्टर्शिप सर्टिफिकेट तथा नर्सिंग कोर्स से संबंधित दस्तावेजों को फार्म के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक को निर्देशित किया जाता है कि वे छात्र-छात्राओं के समस्त संलग्न दस्तावेजों की बारिकी से छानबीन कर ही फार्म को सत्यापित कर कौंसिल को जल्द से जल्द फारवर्ड करें। दस्तावेज अगर झूठे या जाली पाये गये तो प्राचार्य/संचालक ही जवाबदार होंगे और उस संस्था के प्राचार्य एवं संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसमें कौंसिल का किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं होगा।
4. समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन फार्म छात्र-छात्राओं के संस्था की यूनिफार्म में ही फोटो मान्य की जायेगी अन्य किसी भी प्रकार की कलर ड्रेस में फोटो मान्य नहीं की जायेगी अतः इसका कढ़ाई से पालन किया जावे। अन्यथा बिना कलर यूनिफार्म वाले फोटो रजिस्ट्रेशन फार्म कौंसिल द्वारा मान्य नहीं किये जायेंगे।
5. दिनांक 21.10.2015 से कौंसिल में मूल दस्तावेजों की जांच नहीं की जायेगी। अतः किसी भी छात्र-छात्राओं को इस हेतु कौंसिल में न भेजा जाये। फार्म फारवर्ड करने के उपरांत उसकी सूची कौंसिल में कवरिंग लेटर के साथ मेल या डाक द्वारा जमा की जाये।
6. रजिस्ट्रेशन फार्म को अगर किसी भी कारण से अस्थाई /स्थाई रूप निरस्त किया जाता है तो दिये गये Remarks Box में स्पष्ट कारण लिखना होगा कि किस कारण से छात्र-छात्राओं का फार्म निरस्त किया गया है।
7. फारवर्ड करने से पूर्व रजिस्ट्रेशन फार्म में कोई त्रुटि होती है तो Edit/View में जाकर उसका सुधार किया जा सकता है। फार्म को सही प्रकार से जांच करने एवं छात्र के मूल दस्तावेजों से मिलान करने के पश्चात ही फार्म कौंसिल को फारवर्ड किया जाये।
8. नर्सिंग छात्र-छात्राओं को SMS सुविधा के अलावा कौंसिल ने नवीन सुविधा उपलब्ध करायी है जिसमें छात्र अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से स्वयं निकाल सकता है यह सर्टिफिकेट समस्त प्रकार की नौकरी के लिये मान्य होगा तथा नियुक्तकर्ता अधिकारी भी इसे ऑन लाईन वेरीफाई कर सकते हैं। ओरिजनल सर्टिफिकेट Hologram एवं Mono सील लगाने के पश्चात छात्र-छात्राओं के पते पर ही भेजे जायेंगे।
9. इसके लिये छात्र को एम.पी.ऑन लाईन के सिटिजन सर्विसेस में विश्वविद्यालय में जाकर MP Nurses Registration Council को Select कर रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जाकर अपना आर.जी. नम्बर (Application No) एवं जन्मतिथि (Date of Birth) डालना होगी। जिससे उसके रजिस्ट्रेशन की वास्तविक स्थिति उसे ज्ञात होगी। अगर स्टेटस में सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रार एवं अध्यक्ष के डिजिटल साईन हो गये होंगे तो छात्र-छात्राये अपना सर्टिफिकेट ऑन लाईन निकाल सकते हैं। अन्यथा कहीं तक प्रक्रिया हुई है उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
10. पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग एवं एम.एस.सी नर्सिंग के अन्य प्रदेश के छात्रों को अपने Original Documents कौंसिल में (Verify) जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा।

दिनांक :31.10.2015

31/10/15
रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल